न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा कुशरीद 225 मु. नं0 शरीफ 81 वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2-11-17	अपील दर्ज रजिस्टर हो । मियाद का बिन्दू रिजर्व रहेगा । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातह ने दिनांक 17-9-15 को पूर्व में जारी स्थगन आदेश को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि प्रार्थी ने अदालत हाज के आदेश दिनांक 10-4-2014 की पालना नहीं की जबकि अदालत मातहत ने प्रकरण मे दावे की पत्रावली मे दिनांक 3-9-15 को तलबी पेश की जो जारी की जावे आदेश दे रखे है । प्रार्थना पत्र की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य पर है दिखा रखा है । इससे स्पष्ट है कि दावे की आदेशिका में स्पष्ट रूप से सम्मन तलबाना पेश किया जाना दर्ज है जिसको जारी करने का आदेश दे रखा है इसके बाद भी अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश को विधि विरूद्ध पारित किया है । अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने दिनांक 3-9-15 की दावे की आदेशिका में सम्मन तलबाना पेश किये जो जारी करे का आदेश दे रखा है तथा टी0आई0 प्रा0पत्र में इस दिनांक 3-9-15 को पीठासीन अधिकारी को अन्य कार्य में दिखाते हुये पेशी दी	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र

की दावे की आदेशिका में प्रतिवादीगण की तामील लौटकर नहीं आई दर्ज किया है । इस प्रकार एक ही दिन की दावे एवं प्रार्थना पत्र की आदेशिका विरोधाभासी है । इस कारण अदालत मातहत का आदेश न्याय संगत नहीं मानते हैं।अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर स्वीकार कर अदालत मातहत सहायक कलेक्टर मु0 सीकर का निर्णय दिनांक 17-9-15 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र का निर्णय 30 दिन में पारित करे । अपीलान्ट अदालत मातहत के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें । 30 दिन तक पक्षकार मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर